न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमलराम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–87/2012 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. मवासी पुत्र श्री चावसिंह,
2. खवासी पुत्र श्री चावसिंह,
3. तैयब पुत्र श्री मवासी,
4. रूजदार पुत्र श्री खवासी,
5. खेलू पुत्र श्री वजीर,
6. अमीर पुत्र श्री वजीर,
7. सुभान पुत्र श्री फूलसिंह पौत्र कबीर,
8. जुम्मा खां पुत्र श्री फूलसिंह पौत्र कबीर,
9. जुहरू पुत्र श्री फूलसिंह पौत्र कबीर,
10. महमूद खां पुत्र श्री फूलसिंह पौत्र कबीर जातियान मेव, निवासीयान ग्राम मुकन्दवास तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
11. सिकरा पुत्र श्री झब्बू जाति मेव निवासी ग्राम पिपरोली तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांटान

बनाम

1. लल्लू पुत्र श्री चाव खां जाति मीरासी निवासी ग्राम पिपरोली – मृतक
   1/1. जैतूनी पत्नि स्व0 लल्लू,
   1/2. अयूप पुत्र स्व0 लल्लू,
   1/3. कच्छी पुत्र स्व0 लल्लू,
   1/4. साहबदीन पुत्र स्व0 लल्लू,
   1/5. सपरू पुत्र स्व0 लल्लू,
   1/6. अजरू पुत्र स्व0 लल्लू,
   1/7. रहीसन पुत्री स्व0 लल्लू,
   1/8. सगरी पुत्री स्व0 लल्लू जातियान मीरासी निवासीयान ग्राम पिपरोली तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
2. आसू पुत्र श्री चाव खां जाति मीरासी,
3. फाता बेवा श्री मल्लड़ पुत्रवधू चाव खां जाति मीरासी,
4. मेहरूना पुत्री मल्लड़ नाबा0 जरिये सरपरस्त मु0 फाता माताखुद जाति मीरासी निवासीयान ग्राम पिपरोली तहसील रामगढ़ जिला अलवर ।
5. हनीफ पुत्र चाव खां निवासी मुकन्दवास – मृतक
   5/1. समयदीन पुत्र स्व0 हनीफ,
   5/2. हसन पुत्र स्व0 हनीफ,

5/3. इरफान पुत्र स्व0 हनीफ,
5/4. लड्डम पुत्री स्व0 हनीफ,
5/5. मिल्ला पुत्री स्व0 हनीफ,
5/6. रफ्फा पुत्री स्व0 हनीफ जातियान मीरासी निवासीयान ग्राम मुकन्दवास तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

6. रहमानी बेवा श्री बोदन,
7. मुस्ताक पुत्र श्री बोदन,
8. जमालू पुत्र श्री बोदन,
9. रूक्कू पुत्र श्री बोदन जातियान मीरासी निवासीयान ग्राम मुकन्दवास तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... असल रेस्पोडेन्ट्स

10. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री राकेश यादव अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री शैलेन्द्र भार्गव,अभिभाषक असल रेस्पो0।

::: निर्णय :::

दिनांक :–15.03.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ (अलवर) के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2012 व 12.4.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट प्रार्थना पत्र बाबत 1/152 निर्णय दिनांक 12.04.2012 में संशोधन कराये जाने बाबत इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण आराजी ख0 नं0 688 रकबा 0.01, 689 रकबा 0.25, 690 रकबा 0.29, 691 रकबा 0.29, 692 रकबा 0.29, 693 रकबा 0.20, 694 रकबा 0.42, 695 रकबा 0.28, 696 रकबा 0.30 कुल किता 9 रकबा 2.33 है0 वाके ग्राम मुकन्दबास तहसील रामगढ़ में से वादी सं0 1 लल्लू का 1/4 भाग, वादी सं0 2 हनीफ का 1/4 भाग, वादी सं0 3 आसू का 1/4 भाग, वादी सं0 4 व 5 मु0 फाता व महरूना का 1/4 भाग है । इसी प्रकार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा समस्त आराजी पर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें । वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में दावे के तथ्यों को दोहराया व बताया कि सहवन से कम्प्यूटर की गलती से दावे के अन्दर पैरा नं0 6 में प्रतिवादी सं0 4 व 5 मु0 फाता व रहमानी का 1/4 भाग इसी प्रकार से प्रार्थना पत्र के पैरा 1 में प्रतिवादी सं0 4 व 5 का 1/4 भाग दर्ज हो गया जबकि वास्तव में वाद के पैरा नं0 6 व प्रार्थना पत्र के पैरा नं0 1 में वादी सं0 4 व 5 मु. फाता व महरूना दर्ज होना चाहिए । उक्त गलती को पाया जो सहवन से दावे की गलती के अन्दर डिक्री में भी गलती हुई है । उक्त गलती क्लेरिकल भूल है । अतः निर्णय दिनांक 12.4.2012 संशोधन का मोहताज है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब

किया । विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने दि0 04.06.2012 दावा डिक्री किया एवं 12.4.2012 को वादी के वाद डिक्री में संशोधन कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 04.06.2012 व 12.4.2012 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को अर्थे सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि विवादित आराजी चाव खां पुत्र गब्दू जाति मिरासी की कब्जे काश्त की आराजी थी । अपील के साथ जमाबन्दी सम्वत् 2045 की नकल पेश की है जिसमें खाता सं0 44 में ख0 नं0 433 रकबा 10.13 बीघा आराजी है । इस आराजी का चाव खां पुत्र गब्दू ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 3.6.1988 से अपीलांट सं0 1 ल0 6 व 11 व 7–10 के पिता फूलसिंह को बयनामा करा दिया जिसका इन्तकाल सं0 287 खोला गया जिसका जमाबन्दी में नोट अंकित है । वादीगण अनुसार इनका एक बेटा बोदन था जिसके पिता का नाम चाव खा था । बोदन ने अपने पिता के उपर दावा कर दिया जब रजिस्ट्री हुई और स्थगन आदेश का नोट लग गया । उसके बाद वह मुकदमा खत्म हो गया और तहसीलदार ने आदेश किया कि स्थगन हट गया है, पुनः इन्तकाल सं0 287 का अमल कर दिया गया । अगली जमाबन्दी में अमल के आदेश करने का आदेश है, परन्तु इसी दौरान बन्दोबस्त हुआ और जमाबन्दी सम्वत् 2049 की जमाबन्दी पड़त पटवार जीर्ण–शीर्ण हो गयी । इसलिए मैंने पड़त सरकार पेश की है ।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि दौराने बन्दोबस्त ने पुनः चाव खां को ही खातेदार दर्ज कर दिया तथा पिता गब्दू की जगह गल्लू कर दिया गया । इसके बाद रेस्पो0 सभी मिलकर साजिश करते है । रेस्पो0 सं0 1–5, 6–9 के विरूद्ध दावा पेश करते हैं कि गब्दू के जीवनकाल में बोदन द्धारा विवाद किया गया । तहत अदालत में दावे के पैरा नं0 3 का अवलोकन कराया गया । मूल वाद के पैरा सं0 3 के अनुसार वादीगण व असल प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है । पूर्व में मृतक चाव खां के जीवन काल में ही प्रतिवादी सं0 1 ल0 4 के पिता/पति बोदन द्धारा विवाद किया गया था जिस पर परिवार की शांति बनाये रखने के लिए तय पाया गया कि साबिक ख0 नं0 432 रकबा 5.11 बीघा वाके ग्राम मुकुन्दबास तहसील रामगढ़ प्रतिवादी सं0 1 ल0 4 के पिता/पति बोदन की रहेगी तथा विवादित आराजी वादीगण के कब्जे काश्त में रहेगी । एक रजिस्टर्ड बिल इन्होंने पेश की जो पत्रावली में शामिल है उसके ख0 नं0 432 रकबा 5.17 बीघा बोदन की रहेगी, शेष आराजी वादीगण की रहेगी । दि0 13.7.1990 को ये वसीयत की गई । यह वसीयत वादी व प्रतिवादी जो एक ही परिवार के सदस्य है । आपस में फर्जकारी करके अपीलांट के पक्ष में किये गये बयनामा के विरूद्ध की गयी थी । मुझे बयनामा दि0 30.6.1988 को किया गया । अतः जिस सम्पति का बयनामा हो गया उसकी वसीयत नहीं होगी । तहत अदालत का दावा व डिक्री का आधार यही वसीयत है । तहत अदालत में गलत तथ्यों के आधार पर दावा डिक्री कराया है । यह लिखना कि तत्काल समय बोदन ने विवाद किया तो क्या तहत अदालत ने जमाबन्दी नहीं देगी । चाव खां के फौत होने पर बोदन के पक्ष में इन्तकाल सं0 317 होता है । सम्वत् 2045 की ही जमाबन्दी में यह इन्तकाल भी 287 के नोट के नीचे ही है । विवादित खसरा नम्बर वर्तमान में 1.10 बीघा कम है, इसे मुझे बताना होगा । इस

आराजी में से रेलवे लाईन निकाल रहा है । मैंने 96 सी.पी.सी. में अपील अदालत में दरख्वास्त लगायी है । चूंकि यह जमीन मैंने रजिस्टर्ड बयनामा से खरीद की है, इन्तकाल मेरे पक्ष में हुआ है । इस इन्तकाल को न तो कहीं से खारिज किया है और न ही रजिस्ट्री को निरस्त कराया है । अतः मैं हितबद्ध पक्षकार हूं । तहत न्यायालय को मुझे पक्षकार बनाया जाना चाहिए था । अतः मेरा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें ।

जब मैं तहत न्यायालय में पक्षकार नहीं था तो मुझे निर्णय की जानकारी नहीं थी । दि0 12.04.2012 का संशोधन दि0 4.6.2012 को हुआ । जैसे ही मुझे जानकारी हुई मैंने दफा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील पेश कर दी । ऐसी स्थिति में मेरा दफा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें ।

अपीलांट अभिभाषक ने आगे कहा कि विवादित आराजी मेरी खरीदशुदा आराजी है जिस पर मैं काबिज हूं । मेरा इन्तकाल व रजिस्ट्री को कहीं भी किसी भी न्यायालय में चैलेन्ज नहीं किया है । अतः विवादित आराजी का मुझे खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया तथा तहत न्यायालय द्वारा जो गलत तथ्यों पर तथा रेकार्ड के विपरीत जाकर एक ही परिवार के लोगों द्वारा साजिश करके मेरे बयनामा के विरूद्ध गलत वसीयत बनाकर दावा वादी दिनांक 12.4.2012 डिक्री करवाया तथा दि0 4.6.2012 को पुनः प्रार्थना पत्र से संशोधन कराया, इन दोनों ही आदेशों को जो रेकार्ड व तथ्यों के विपरीत है, निरस्त किये जावें ।

प्रतिउत्तर में अभिभाषक असल रेस्पो0 ने बहस में बताया कि इसमें दो निर्णय है जिन्हें इनके द्वारा एक साथ दि0 12.4.2012 व 4.6.2012 को चैलेन्ज किया गया है । दि0 12.4.2012 का मूल निर्णय है जिसमें क्लेरिकल गलती से प्रतिवादी लिख दिया गया । क्लेरिकल गलती को ठीक किया गया । दि0 12.4.2012 डिक्लेरेशन की डिक्री है । मेरे पिता के नाम से रेकार्ड था । हमने हिस्सा अनुसार डिक्री किया और न्यायालय ने देखा और 1/4–1/4 भाग कर दिया । बोदन को वसीयत से अलग जमीन दे दी । अतः तहत न्यायालय का निर्णय सही है । अपीलांट की अपील में प्रार्थना है कि तहत न्यायालय का निर्णय निरस्त कर दिया जावें और स्वयं घोषणा चा रहे हैं । अपीलांट को घोषणा का दावा अलग से करना चाहिए । राजस्व रेकार्ड में इनका नाम नहीं है । सक्षम न्यायालय में जाना पड़ेगा । सैलडीड को यहां अपीलेट कोर्ट में पेश किया है जो साक्ष्य हेतु ग्राह्य नहीं है । एक्जी. भी नहीं है, प्रमाणित प्रति भी नहीं है । क्या इसके आधार पर क्या रिलीफ मिलेगी । अपीलांट को अपने पैरो पर खड़ा होना होगा । घोषणा का दावा करना होगा । तहत न्यायालय के निर्णय से तो हमने चाव खां के अधिकारों को अपने नाम किया है । तहत न्यायालय ने हमारा दावा सही डिक्री किया है । रकबा 1.10 बीघा आराजी अधिगृहण में गयी तो क्या बताये कि अपीलांट ने कोई मुआवजा प्राप्त किया । मेरी वसीयत में हम पक्षकारों को कोई आपत्ति नहीं है तो अपीलांट को क्यू आपत्ति है । अतः इस वसीयत को अपीलांट कैसे चैलेन्ज करेगें । मैंने ड्यू प्रोसेस से दावा डिक्री कराया है । यदि अपीलांट को कोई रिलीफ लेनी है तो स्वयं दावा पेश करें एवं स्वयं घोषणा करावें । यहां 96 सी0पी0सी0 का कोई प्रावधान नहीं है ।

बहस जवाब में आगे कहा कि यदि इन्होंने नकल रजिस्ट्री वगैरा पैश किया है तो निर्धारित आवेदन आदेश 41 नियम 27 में पेश करना चाहिए । मुझे रिवटल में मौका मिलना

चाहिए । तहत न्यायालय ने सही निर्णय व डिक्री पारित की है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

जवाब उल जवाब में अपीलांट अभिभाषक ने निवेदन किया कि इनका ये कहना कि जमीन इनके पिता के नाम थी । मैंने यही तो कह रहा हूं कि इसी से तो फर्जकारी से गलत डिक्री जारी करवायी । इन्होंने ये नहीं बताया कि इनका नाम पुनः कैसे आया । मैंने 2012 में अपील पेश की है । मेरे बयनामें को आदिनांक तक चैलेन्ज नहीं किया तथा न ही आपत्ति पेश की । जिस जमाबन्दी सम्वत् 2045 की नकल पेश की है, क्या उनकी कोई अहमियत नहीं है । रेस्पो0 का यह कहना कि तहत न्यायालय में डिक्री करते तो ये बताये कि बिना इस डिक्री को सैटएसाईड कराये मैं कैसे दावा करता । मेरी बहस का कोई जवाब नहीं है । इन्होंने बन्दोबस्त के बारे में कुछ नहीं बताया । सम्वत् 2049 की जमाबन्दी के बिन्दु को मैंने अपील में लिखा है कि ये पड़त सरकार पेश क्यू नहीं कर रहा हूं । मेरा केस मुआवजा का नहीं है । मैंने केवल यह बताया है कि जमीन कम क्यू हो गयी । ऐसा प्रावधान कहा है कि अपीलांट कोर्ट में डिक्लेरेशन का दावा क्यों नहीं कर सकता है । यदि दस्तावेज पूर्ण है । अतः जरिये रजिस्टर्ड बयनामा मैं खरीददार हूं । मिली भगत करके वसीयत से डिक्री करायी है । मैं पक्षकार नहीं था । बहस जवाब में यह भी कहा कि अपीलांट तो रजिस्टर्ड बयनामा से उक्त आराजी को खरीदकर नामान्तकरण सं. 287 से खातेदार हो गया और उसका जमाबन्दी में नोट भी अंकित कर दिया परन्तु वादी और प्रतिवादी के आपसी विवाद से स्थगन का नोट अंकित हो गया । इनका विवाद खत्म होते ही तहसीलदार ने मेरे नामान्तकरण सं0 287 का अगली जमाबन्दी में अमल दरामद करने का आदेश दिया, परन्तु बन्दोबस्त ने 287 का अमल दरामद न करके पुराने इन्द्राजों को बदस्तूर कर दिया और इसी आधार पर वादी और प्रतिवादी ने आपस में साजबाज करके कथित वसीयत से दावा गलत डिक्री करवा लिया ।

मैं तो वसीयत से पूर्व का ही मूल खातेदार हूं। चाव खां से खरीददार हूं । मेरे लिए वसीयत मायने नहीं रखती है जो जमीन मुझे जरिये बयनामा हस्ताक्षरित हो गयी, उसकी चाव खां वसीयत कैसे कर सकते हैं ।

अतः अपीलीय न्यायालय में रजिस्टर्ड बयनामा पेश करू या नहीं करू, बिन्दू ये नहीं है । मुख्य बिन्दू ये है कि मैं तो पहले से ही खातेदार था और बन्दोबस्त ने मेरी खातेदारी समाप्त की है । अतः मुझे अपीलीय न्यायालय से खातेदारी प्राप्त करने का अधिकार है । तहत न्यायालय के निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

हमने विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । कानूनी बिन्दुओं का अवलोकन किया तथा तहत न्यायालय के दोनों निर्णयों का अवलोकन किया ।

अपीलांट ने अपनी अपील के साथ नकल रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2066, मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2058, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2049–52, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2045–49, नकल नामान्तकरण सं0 287 एवं नकल फोटो प्रति बयनामा दिनांक 3.6.88 पेश किये ।

अपील के साथ पेश रेकार्ड का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि नकल नामान्तकरण सं. 287 में खाता सं0 99 के ख0 नं0 433 रकबा 10.13 बीघा के मूल खातेदार

चाव खां पुत्र गब्दू कौम मीरासी से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दि0 3.6.88 से मवासी, खवासी पुत्र चाव खां, तैयब पुत्र मवासी, रूजदार पुत्र ख्वासी, सिकरा पुत्र झब्बू मेव व पिपरोली, फूलसिंह पुत्र कबीर, खेलू अमीर पुत्रान वजीर जाति मेव तथा जमाबन्दी सम्वत् 2045–49 खाता सं0 44 में चाव खां पुत्र गब्दू मीरासी के आगे नामान्तकरण सं0 287 का रजिस्टर्ड बयनामा के अनुसार नोट अंकित है कि ख0 नं0 433 रकबा 10.13 बीघा का खातेदार अपीलांट के नाम दर्ज हुई ।

इस प्रकार से उक्त विवरण से स्पष्ट है कि अपीलांट हितबद्ध पक्षकार खातेदार है तथा वादीगण व प्रतिवादी ने तहत न्यायालय में जानबूझकर अपीलांट को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया जो कि आवश्यक थे । अतः प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है ।

प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम के संबंध में भी प्रार्थना की है । चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नहीं थे तो जानकारी होने पर यह अपील पेश की है । अतः प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है ।

अपील का गुणावगुण पर अवलोकन किया गया । चूंकि अपीलांट को तहत न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया तो अपील के साथ दस्तावेज पेश किये हैं, उनका अवलोकन किया गया । नामान्तकरण सं0 287 का अवलोकन से पाया कि ख0 नं0 433 रकबा 10.13 बीघा का खातेदार चाव खां पुत्र गब्दू कौम मीरासी सा0देह खातेदार ने रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 3.6.1988 से उक्त आराजी का बेचान अपीलांट को कर दिया । इस आशय से नामान्तकरण स्वीकृत किया गया । नकल जमाबन्दी सम्वत् 2045–49 में खाता सं0 44 के ख0 नं0 413 में नामान्तकरण सं0 287 का अमल दर्ज किया गया । जमाबन्दी सम्वत् 2049–52 में सम्वत् 2045–49 के नामान्तकरण के अंकित नोट को बन्दोबस्त के द्वारा हटा दिया गया है और उसके बाद जमाबन्दी सम्वत् 2066 के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपस में मिल्लत करके साजबाज करके वसीयत के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय में दावा दायर करके दिनांक 12.4.2012 को डिक्री करा लिया तथा 152 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 4.6.2012 को डिक्री में संशोधन कराया गया ।

कानूनी प्रावधानों के अनुसार बन्दोबस्त विभाग को पुराने इन्द्राजों को बदलने का कोई अधिकार नहीं है । अतः जमाबन्दी सम्वत् 2045–49 के जो इन्द्राज सम्वत् 2049–52 की जमाबन्दी में ख0 नं0 433 के अंकित किये हैं वो बातिल एवं बेअसर है तथा इन गलत इन्द्राजों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.4.2012 व 3.6.2012 कानून के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । चूंकि अपीलांट जरिये रजिस्टर्ड बयनामा जमाबन्दी सम्वत् 2045–49 में खातेदार अंकित हो चुके हैं । अतः अपीलांट रजिस्टर्ड बयनामा एवं नामान्तकरण सं0 287 व अमल दरामद जमाबन्दी सम्वत् 2045–49 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ (अलवर) के निर्णय दिनांक 12.4.2012 व 4.6.2012 निरस्त किये जाते हैं तथा अपीलांट को साबिक ख0 नं0 433 रकबा 10.13 बीघा का (इस खसरा नम्बर में से रेलवे द्वारा अधिगृहण पश्चात् शेष रकबे) हाल ख0 नं0 688 रकबा 0.01, 689 रकबा 0.25, 690 रकबा 0.29, 691 रकबा 0.29, 692 रकबा 0.29, 693 रकबा 0.20, 694 रकबा 0.42, 695 रकबा 0.28, 696 रकबा 0.30 किता 9 कुल रकबा 2.33 है0 वाके ग्राम मुकन्दबास तहसील

रामगढ़ जिला अलवर का मुताबिक नामान्तकरण सं0 287 में दर्ज व मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2045–49 के अंकन अनुसार खातेदारों को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/3/18

(कमलराम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर